"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110] रायपुर, ग • र, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (34).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शायी गई वस्तुओं की श्रेणी को कॉलम (3) में दर्शायी गई सीमा तक कॉलम (4) में दर्शायी गई शर्तों एवं निर्बन्धों के अंतर्गत दिनांक 01-04-2010 से 31-03-2011 तक के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	अनुसूची-2 की प्रविष्टि क्रमांक 27 (अ) में वर्णित फ्लाई एश ब्रिक्स	संपूर्ण कर	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित किया गया है.
2.	समस्त उत्पाद, लाईम स्टोन को छोड़कर	संपूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित लघु उद्यम द्वारा निर्मित हो, जहां संयंत्र एवं मशीनरी में विनियोजन एक करोड़ रुपये से अधिक न हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (34).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2010/वाक/पांच (34), दिनांक 01-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 1st April 2010

NOTIFICATION

No. F-10/29/2010/CT/V (34).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) from 01-04-2010 to 31-03-2011, subject to the restriction and conditions specified in column (4) of the Schedule the said Act :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fly ash bricks specified in entry No. 27 (a) of schedule II.	whole of tax	When the goods specified in column (2) are manufactured within the State of Chhattisgarh.
2.	All product excluding lime stone.	whole of tax	When manufactured by small enterprise, established in Chhattisgarh State, where the investment in plant and machinery does not exceed one crore rupees.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.